न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 140/2017 (2014/00127) **दायर दिनांकः 07/09/2017**

उनवान

1. जमनालाल आयु 42 वर्ष पुत्र रामनाथ
2. हेमराज आयु 55 वर्ष पुत्र प्रभुलाल
3. रामकिशन आयु 56 वर्ष पुत्र गोपाल जातियान मीणा निवासीगण रामनिवास तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादीगण

बनाम

1. भैरूलाल आयु 70 वर्ष पुत्र पीरिया जाति गुर्जर निवासी रामनिवास तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0 एवं
धारा 136 एल.आर.एक्ट. बाबत रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थितिः—

वादीगण :—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर

प्रतिवादी :—विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्र प्रकाश योगी प्रति. क्रम. 1

निर्णय

दिनाकः 20/04/2023

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0 एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि यह कि ग्राम एवं माल रामनिवास तह० अटरु जिला बारां साबिक खाता संख्या 122 खसरा संख्या 66 का रकबा 4 बीघा 4 विस्वा मे से एक बार ख० नं० 66 का रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा व एक बार ख० न० 66/217 का रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा एलोटमेट हुआ तथा रकबा 66/226 का 17 बिस्वा गोपाल पुत्र पाचू मीणा निवासी रामनिवास के एलोटमेन्ट होकर पूरा 4 बीघा

4 बिस्वा हो गया जबकि सेटलमेन्ट से पूर्व भैरूलाल पुत्र पीरिया जाति गुर्जर निवासी रामनिवास एलोटमेन्ट के समय से ही अपनी आवटन शुदा भूमि 3 बीघा 5 बिस्वा पर ही कास्त करता चला आ रहा है तथा वर्तमान में इसी पर काश्त कर रहा है लेकिन गत सेटलमेन्ट द्वारा ख० न0 66 तथा वर्तमान ख० न० 355 की 0.20, 356 की 0.71, 359 की 0.06, 364 की 0.38 कुल किता 4 का रकबा 1.35 है0 जो करीबन सवा आठ बीधा होता है सारा रकबा भैरूलाल पुत्र पीरिया गुर्जर निवासी रामनिवास के खाता संख्या 91 ग्राम रामनिवास मे दर्ज कर दिया जबकि सेटलमेन्ट से पूर्व भैरूलाल गुर्जर के माल 3 बीघा 6 बिस्वा ही था इसलिये खाली पडी हुई भूमि पर लोगो ने पौधे, ग्राम मवेशी बैटक, खलीयान एवं मकान बनाकर निवास करने लग गये तथा जमनालाल व हेमराज ने काफी समय से अपने अपने मकानो मे विद्युत कनेक्शन करवा रखे। नकल जमाबन्दीया प्रतिवादी क्रम 1 व पुराना नक्सा ट्रेस एवं विधुत बिल कि प्रतिया वाद पत्र के साथ सलग्न है जो काबिले गौर है। खातेदार भैरूलाल ने अपनी वर्तमान जमाबन्दी से जो गलत है तथा रकवा बढा हुआ है के आधार पर पैमाइश कराई तो 100 वर्षो से काश्त करता आ रहा गोपाल जीवन पुत्रान पाचूलाल मीणा निवासी रामनिवास जिसका सेटलमेन्ट से पूर्व 4 किता का रकबा 32 बीघा 4 बिस्वा था तथा वर्तमान मे 10 किता का रकबा 5.22 है0 जो लगभग सेटलमेन्ट से पूर्व व वर्तमान के बराबर है। जबकि यह काश्तगार 100 वर्षो से अपनी जमाबन्दी के अनुसार ही काश्त करता चला आ रहा है जबकि करीबन 0.32 है० भूमि इसकी काश्त शुदा मे वर्तमान पैमाईश द्वारा बताई गई है उक्त पैमाइश रिपोर्ट गलत है। जबकि सेटलमेन्ट से पूर्व ख0न० 66/226 मे 17 बिस्वा भूमि गोपाल पुत्र पाचूलाल मीणा निवासी रामनिवास के आवटित हुई थी। जिसका ख० न० 190 दिनांक 20.01.1983 से खातेदार दर्ज हुआ है जिसका इन्द्राज जमाबन्दी सम्वत 2039 से 1942 मे दर्ज है। नकल जमाबन्दी वादीगण पुरानी एवं नवीन व नक्सा ट्रेश मिलान क्षेत्रफल वाद पत्र के साथ सलग्न है। जो काबिल गौर है। बिना सहायता न्यायालय वादीगण के आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण द्वारा रकबा कम दर्ज करने की त्रुटि को दूर नही किया जा सकता इसलिए वादीगण को पुराने रकबे के अनुसार कम हुए नये रकबे को बढाकर खातेदार कृषक घोषित किया जावें जिसके वादीगण अधिकारी एंव नॉलिशी है तथा प्रतिवादी क्रम 1 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाये कि वह वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वय करे और न ही ऐसा कृत्य अपने प्रतिनिधियों द्वारा करावे इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय ने पेश किया गया है। वादीगण द्वारा राजस्थान सरकार जर्ये जिला क्लेक्टर महोदय बारां को 80 सी. पी. सी. का विधिक नोटिस जर्ये अधिवक्ता मियादी 2

माह प्रेषित करवा दिया है। पटवार हल्का द्वारा पैमाईश करने पर प्रतिवादी कम 1 द्वारा कब्जा नहीं छोड़ने पर वादीगण को जान से मरवाने की धमकी देने की वजह से वाद आवश्यक प्रकृति का बन चुका है। इसलिए बाद में वाद पेश करने का महत्व ही समाप्त होने से पूर्व ही प्रार्थना पत्र धारा 80 (2) सी. पी. सी. के साथ माननीय न्यायालय में वाद पेश किया जा रहा है प्रार्थना पत्र 80 (2) सी. पी. सी. स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर नियमित सुनवाई की जावें। वाद कारण प्रथम बार आपके अधिनस्थ तहसीलदार साहब द्वारा रिकार्ड दुरस्थ करने से मना करने पर तथा अन्तिम बार दिनांक 24.06.2014 को वादीगण को पटवार हल्का द्वारा पैमाइश कर बेदखल करने की धमकी देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है। विवादग्रस्त आराजी ग्राम एंव माल रामनिवास तह० अटरू जिला बारां में स्थित है। जिसका क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद अवधि मध्य एंव उचित न्याय शुल्क पर पेश है। अतः माननीय न्यायालय में वादीगण वाद पेश कर निवेदन करते है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 निम्न आशय की पारित की जावे कि–

(अ) यह कि वाद पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित आराजी को दर्ज करने की त्रुटि जो आपके अधिनस्थ सेटलमेंट विभाग के कर्मचारीगण ने की है को दुरूस्त किया जाकर वादीगण को पुराने रकबे के अनुसार खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

(ब) यह कि प्रतिवादी क्रम 1 गलत रकबे के आधार पर वादीगा को बेदखल कर दे तो वादीगण को पुनः कब्जा दिलाया जाये।

(स) प्रतिवादी क्रम 1 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे की वह वादीगण के विरूद्ध वर्तमान में दर्ज गलत रकबे के आधार पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करें।

(द) यह कि अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 बिल्कुल मिथ्या

व मनगढंत रूप से अंकित किए जाने से अस्वीकार है। वाद पत्र की चरण संख्या 2 बिल्कुल मिथ्या व मनगढंत रूप से अंकित किए जाने से अस्वीकार है। वाद पत्र की चरण संख्या 3 बिल्कुल मिथ्या व मनगढंत रूप से अंकित किए जाने से अस्वीकार है। वाद पत्र की चरण संख्या 4 कानूनी है तथा अस्वीकार है। वाद पत्र की चरण संख्या 5 कानूनी है तथा अस्वीकार है। वाद पत्र की चरण संख्या 6 कानूनी है। वाद पत्र की चरण संख्या 7 कानूनी है। वाद पत्र की चरण संख्या 8 कानूनी एवं अस्वीकार है। वाद पत्र के अंत में चाही गई डिक्री की उपमद अ, ब, स, द अस्वीकार है। वादी का वाद खारिज किए जाने योग्य है।

विशेष आपत्तियां मय काउंटर क्लेम

प्रतिवादी भेरूलाल के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में वाके ग्राम रामनिवास तहसील अटरू में खाता संख्या 91 की भूमि खसरा नंबर 354 रकबा 0.15 है0, खसरा नंबर 355 रकबा 0.20 है0, खसरा नंबर 356 रकबा 0.71 है०, खसरा नंबर 359 रकबा 0.06 है0, खसरा नंबर 364 रकबा 0.38 है0 कुल किता पांच रकबा 1.50 है0 एवं खाता संख्या 93 की भूमि खसरा नंबर 236 रकबा 0.17 है0, खसरा नंबर 358 रकबा 0.29 है0 कुल किता दो रकबा 0.46 है0 स्थित चली आ रही है। प्रतिवादी कम 1 के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 364 रकबा 0.38 है0 एवं खसरा नंबर 359 रकबा 0. 06 है0 तथा खसरा नंबर 358 रकबा 0.29 है0 भूमि से लगवां वादीगण के खातेदारी की भूमि है। लेकिन वादीगण बदनियतीपूर्वक बिना किसी वैधानिक अधिकार के प्रतिवादी के उक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर व्यवधान पैदा करते हैं और अवैधानिक रूप से जबरन कब्जा करने पर आमादा रहते हैं और प्रतिवादी जो बुजुर्ग व्यक्ति को मारपीट की धमकी देकर बेदखल करना चाहते हैं और इसी प्रकार प्रतिवादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 354 रकबा 0.15 है० आराजी पर वादीगण एवं उनके पुत्र जबरन लड़ाई–झगड़ा करने व प्रतिवादी को बेदखल करने पर आमादा है। इस भूमि पर प्रतिवादी ने तीन ओर पत्थर का कोट कर रखा है तथा तीनों तरफ सफेदे के पेड़ लगाए हुए हैं और इस भूमि पर प्रतिवादी ने जानवर बांधने, रेवड़ी डालने में तथा चारा इकठ्ठा करने के काम लेता चला आ रहा है। प्रतिवादी अपने खाते व कब्जे की भूमि को तहसील अटरू से सीमाज्ञान व पैमाइश करवा चुका है। लेकिन वादीगण ताकतवर व मालदार व्यक्ति है और थाने वालों से मिलीभगत करके ऐनकेने प्रकार से प्रतिवादी बुजुर्ग व्यक्ति को निरन्तर बेदखल करने की धमकी देते चले आ रहे हैं और वादीगण ने दिनांक 06.08.2014 को एकराय होकर प्रतिवादी को धमकी दी कि प्रतिवाद पत्र की उक्त वर्णित आराजी पर अपना कब्जा हटा ले अन्यथा जान–माल से

हाथ धोना पड़ेगा। इस पर प्रतिवादी की ओर से एक वाद पत्र सम्माननीय न्यायालय में बउनवानी भेरूलाल बनाम रामकिशन वगैरहा वाद संख्या 99/2014 प्रस्तुत किया हुआ है, जो विचाराधीन है। वादीगण ने अपने वाद पत्र में वाद प्रस्तुत करने के पूर्व धारा 80 सी०पी०सी० का नोटिस भी प्रेषित नहीं किया और न ही उसकी अवधि समाप्ति का इंतजार किया और न ही अपने वाद पत्र में वाद प्रस्तुति का कारण ही अंकित किया है। वाद बिना वाद कारण एवं अवधि मध्य प्रस्तुत नहीं किए जाने से कानूनन खारिज किए जाने योग्य है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी की उक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन बेदखल करने एवं व्यवधान पैदा करने तथा लडाई–झगड़ा कर मारपीट करने की धमकी देने के कारण प्रतिवादी अपने खाते की भूमि पर विरुद्ध वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी है। इस हेतु प्रतिवादी काउंटर क्लेम प्रस्तुत करता है। काउंटर क्लेम उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है। अतः जवाबदावा मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी के पक्ष में विरुद्ध वादीगण निम्न आशय की डिकी सादिर पारित फरमाई जावे –

(अ) यह कि विशेष आपत्ति मय काउंटर क्लेम की मद नंबर 1 में वर्णित आराजी पर वादीगण को जर्ये आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे एवं उनके प्रतिनिधिगण प्रतिवादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करें। प्रतिवादी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे।

(ब) दौराने दावा वादीगण प्रतिवादी के खाते एवं कब्जे की भूमि पर जबरन कब्जा करने में सफल हो जावे तो वादीगण को बेदखल करके कब्जा प्रतिवादी क्रम 1 भेरूलाल को संभलाया जावे।

(स) यह कि अन्य न्यायोचित सहायता, जो प्रतिवादी के पक्ष में हो, प्रदान की जावे।

4. वादीगण द्वारा जवाब उल जवाब पेश कर कथन किया कि जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र की मद० नं० 1 लगायत 8 का जवाब जिस प्रकार प्रतिवादी क्रम 1 ने अंकित किया हैं, वह अस्वीकार हैं। विशेष आपत्तियाँ एवं प्रतिवाद पत्र की मद नं० 1 मिथ्या अंकित किये जाने से अस्वीकार है। विशेष आपत्तियाँ एवं प्रतिवाद पत्र की मद नं० 2 मिथ्या अंकित किये जाने से अस्वीकार हैं। विशेष आपत्तियाँ एवं प्रतिवाद पत्र की मद नं0 3 मिथ्या अंकित किये जाने से अस्वीकार है। प्रतिवादी क्रम 1 किसी भी प्रकार की सहायता माननीय न्यायालय से प्राप्त करने का कानून अधिकारी नहीं हैं। विशेष आपत्तियाँ एवं प्रतिवाद पत्र की मद नं0 4 मिथ्या अंकित किये जाने से अस्वीकार हैं। विशेष आपत्तियाँ

एवं प्रतिवाद पत्र की मद नं0 5 मिथ्या अंकित किये जाने से अस्वीकार हैं। विशेष आपत्तियाँ एवं प्रतिवाद पत्र की मद नं0 6 कानूनी हैं। चाही गई प्रार्थना अस्वीकार हैं

विशेष आपत्तियां

ग्राम एवं माल रामनिवास तह० अटरू जिला बारां में प्रतिवादी क्रम 1 को साबिक खाता सं0 122 का ख0न0 66 का रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा में से 1 बार ख0न0 66 का रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा व 1 बार ख०न० 66/217 का रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा एलोटमेन्ट हुआ तथा रकबा 66/226 का 17 बिस्वा वादी क्रम 3 के पिता गोपाल पुत्र पांचू जाति मीणा निवासी रामनिवास के एलोटमेन्ट होकर पूरा 4 बीघा 4 बिस्वा हो गया। जबकि सेटलमेन्ट से पूर्व भैरूलाल पुत्र पीरिया जाति गुर्जर निवासी रामनिवास एलोटमेन्ट के समय से ही अपनी आवंटन शुदा भूमि 3 बीघा 6 बिस्वा पर ही काश्त करता चला आ रहा हैं तथा वर्तमान में इसी पर काश्त कर रहा हैं। लेकिन गत सेटलमेन्ट द्वारा ख0न0 66 तथा वर्तमान ख0न0 355 की 0.20, 356 की 0.71, 359 की 0.06, 364 की 0.38, कुल किता 4 का रकबा 1.35 है0 जो करीबन सवा आठ बीधा होता हैं सम्पूर्ण रकबा भैरूलाल पुत्र पीरिया गुर्जर निवासी रामनिवास के खाता संख्या 91 ग्राम रामनिवास में दर्ज कर दिया। जबकि सेटलमेन्ट से पूर्व भैरूलाल गुर्जर के माल 3 बीघा 6 बिस्वा ही था। इसलिए खाली पड़ी हुई भुमि पर लोगों ने पौधे, ग्राम मवेशी बैठक, खलीहान एवं कच्चे–पक्के मकान बनाकर निवास करने लग गये तथा जमनालाल व हेमराज ने काफी समय से अपने–अपने मकानों में विधुत कनेक्शन करवा रखे हैं। खातेदार भैरूलाल ने अपनी वर्तमान जमाबन्दी से जो गलत है तथा रकबा बढ़ा हुआ हैं के आधार पर पैमाईश कराई तो 100 वर्षो से काश्त करता आ रहा गोपाल, जीवन पुत्रान पाचूलाल मीणा निवासी रामनिवास जिसका सेटलमेन्ट से पूर्व 4 किता का रकबा 32 बीघा 4 बिस्वा था तथा वर्तमान में 10 किता का रकबा 5.22 है0 जो लगभग सेटलमेन्ट से पूर्व व वर्तमान के बराबर हैं। यह काश्तगार 100 वर्षो से अपनी जमाबन्दी के अनुसार ही काश्त करता चला आ रहा हैं जिसमें करीबन 0.32 है0 भूमि इसकी काश्त शुदा में वर्तमान पेमाईश द्वारा बताई गई हैं। उक्त पैमाईश रिपोर्ट गलत है। जबकि सेटलमेन्ट से पूर्व ख0नं0 66/226 में 17 बिस्वा भूमि गोपाल पुत्र पाचूलाल मीणा निवासी रामनिवास के आवटित हुई थी जिसका ख0न0 190 दिनांक 20ध01ध1983 से खातेदार दर्ज हुआ हैं जिसका इन्द्राज जमाबन्दी सम्वत् 2039 से 2042 में दर्ज हैं। जब तक रिकार्ड दुरूस्त नहीं हो जाता तब तक पटवार हल्का द्वारा गलत पैमाईश रिपोर्ट के आधार पर प्रतिवादी क्रम 1 वादीगण को बेदखल न करें इसलिए प्रतिवादी क्रम 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक हैं कि वह

वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया हैं जिससे यह प्रथम दृष्ट्या साबित हो की वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी पर उसका कभी स्वामित्व रहा हो ऐसी स्थिति में प्रतिवादी क्रम 1 का काउंटर क्लेम खारिज किये जाने योग्य हैं। अतः माननीय न्यायालय में जवाब उल जवाब प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रतिवादी क्रम 1 का काउंटर क्लेम मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाने की कृपा करें।

3. दावा व जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई–

तनकी नं0 1–आया कि वादीगण वाद पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित को पुराने रकबे के अनुसार रिकार्ड दुरूस्त करवाकर खातेदार कृषक घोषित होने के अधिकारी है।

(वादीगण)

तनकी नं0 2–आया कि वर्तमान में कम हुये रकबे के आधार पर यदि प्रतिवादी क्रम 1 वादीगण को बेदखल कर दे तो पुनः कब्जा वादीगण प्राप्त करने के हकदार है।

(वादीगण)

तनकी नं0 3–आया कि वादीगण प्रतिवादी क्रम 1 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है कि प्रतिवादी क्रम 1 वर्तमान में वादीगण के कम हुये रकबे पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करें।

(वादीगण)

तनकी नं0 4–आया कि जमनालाल व हेमराज ने विवादग्रस्त आराजी पर मकान बना रखे है तथा विधुत कनेक्शन करवाकर सपविार मकानों में निवास कर रहे है।

(वादी क्रम 1 व 2)

तनकी नं0 5–आया कि विशेष आपत्तियों मय काउंटर क्लेम की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर वादीगण को जर्ये आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाने कि एवं उनके प्रतिनिधिगण प्रतिवादी क्रम 1 के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार का व्यवधान पेदा नहीं करें। प्रतिवादी क्रम 1 को शांतिपूर्वक आराजी काश्त करने देवे।

(प्रतिवादी क्रम 1)

तनकी नं0 6—आया कि प्रतिवादी क्रम 1 की ओर एक वाद माननीय न्यायालय में बउनवान भैरूलाल बनाम रामकिशन वगै0 वाद संख्या 99/2014 प्रस्तुत किया हुआ है जो भी विचाराधीन है।

(प्रतिवादी क्रम 1)

तनकी नं0 7— आया कि वादी ने वाद प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का नोटिस प्रेषित नहीं किया तथा वाद प्रस्तुति का कारण एवं अवधि मध्य प्रस्तुत नहीं होने से वाद खारिज होने योग्य है।

(प्रतिवादी क्रम 1)

तनकी नं0 8—दादरसी

4. वादीगण द्वारा अपने समर्थन में मौखिक साक्ष्य— पी डब्ल्यू 1 जमनालाल, पीडब्ल्यू 2 रामकिशन, पीडब्ल्यू 3 हेमराज, पी डब्ल्यू 4 हरनारायण, पी डब्ल्यू 5 इन्द्रराज तथा दस्तावेजी साक्ष्य— ग्राम रामनिवास के खाता संख्या 114 की जमाबंदी संवत 2068—71 की सत्यापित प्रति, नक्शा ट्रेस की सत्यापित प्रति, ग्राम रामनिवास के खाता संख्या 113 की जमाबंदी संवत 2068—71 की सत्यापित प्रति, ग्राम रामनिवास के खाता संख्या 68 की जमाबंदी संवत 2068—71 की सत्यापित प्रति, नक्शा ट्रेस ख0नं0 353 की प्रति, बेचान नामा की प्रति, ग्राम रामनिवास के खाता संख्या 74 की जमाबंदी संवत 2027—30, 2031—34 की सत्यापित प्रति, ग्राम रामनिवास के खाता संख्या 106 की जमाबंदी संवत 2034—38 की सत्यापित प्रति, ग्राम रामनिवास के खाता संख्या 123 की जमाबंदी संवत 2039—42 की सत्यापित प्रति, खसरा नक्शा की प्रति, ग्राम रामनिवास के खाता संख्या 68 की जमाबंदी संवत 2013—32 की सत्यापित प्रति, ग्राम रामनिवास के खाता संख्या 1 की जमाबंदी संवत 2039—42 की सत्यापित प्रति, ग्राम रामनिवास के खाता संख्या 10 की जमाबंदी संवत 2039—42 की सत्यापित प्रति, ग्राम रामनिवास के खाता संख्या 100 की जमाबंदी संवत 2039—42, ग्राम रामनिवास के खाता संख्या 65 की जमाबंदी संवत 2039—42 की सत्यापित प्रति की सत्यापित प्रति, ग्राम रामनिवास के खाता संख्या 64 की जमाबंदी संवत 2039—42 की सत्यापित प्रति, ग्राम रामनिवास के खाता संख्या 91 की जमाबंदी संवत 2068—71 की सत्यापित प्रति, 80 सीपीसी नोटिस की प्रति, मिलान क्षैत्रफल 1989 से 2009 की प्रति, खसरा नक्शा की प्रति, भू प्रबंध विभाग की ग्राम रामनिवास के खाता संख्या 8 जमाबंदी की प्रति, बिजली बिल की प्रतियां, फोटोग्राफ, खसरा नक्शा की प्रति, ग्राम रामनिवास के खाता संख्या 93 की जमाबंदी संवत 2068—71 की सत्यापित प्रति, खसरा गिरदावरी की संवत 2070 की प्रति पेश कर प्रदर्शित कराये गये।

5. प्रतिवादीगण के नियत तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं होने के कारण आदेशिका दिनांक 26.05.2022 अनुसार प्रतिवादी क्रम 1 एवं आदेशिका दिनांक 06.02.2023 अनुसार प्रतिवादी क्रम 2 के विरूद्ध साक्ष्य पेश करने से पूर्व ही एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अतः प्रकरण में तनकी वार निर्णय किये जाने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है।

6. अभिभाषक वादीगण की बहस एकतरफा सुनी। अभिभाषक वादीगण द्वारा बहस के दौरान वादपत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी क्रम 1 भैरूलाल पुत्र पीरिया गुर्जर को ग्राम रामनिवास में साबिक खसरा न. 66 में से 3 बीघा 6 बिसवा भूमि एवं साबिक खसरा न. 100 में से 1 बीघा 5 बिसवा कुल 4 बीघा 11 बिसवा भूमि आवंटित हुई थी। जिस पर प्रतिवादी क्रम 1 आज दिनांक तक कब्जा काश्त चला आ रहा है लेकिन सेटलमेंट के दौरान सेटलमेंट विभाग के कार्मिकों ने साबिक खसरा न. 66 रकबा 3 बीघा 6 बिसवा के विधि विरूद्ध तरीके नये खसरा न. 355 रकबा 0.20 है0, ख. न. 356 रकबा 0.71 है0, ख.न. 359 रकबा 0.06 है0, ख.न. 364 रकबा 0.38 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.35 है0 बनाकर प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज की गई। इस प्रकार प्रतिवादी क्रम 1 भैरूलाल की आराजी 4 बीघा 11 बिसवा का रकबा बढाकर नया रकबा 1.35 है0 यानि करीब सबा आठ बीघा बनाया गया जो कि विधि विरूद्ध है। **अभिभाषक वादीगण द्वारा यह भी तर्क किया गया कि हाल खसरा न. 354 रकबा 0.15 है0 साबिक खसरा न. 185/237 रकबा 1 बीघा 10 बिसवा से बनाया गया है। साबिक खसरा न. 185/237 रकबा 1 बीघा 10 बिसवा सेटलमेंट से पूर्व सिवायचक दर्ज था जिसे सेटलमेंट विभाग के कार्मिकों द्वारा सेटलमेंट के दौरान बिना किसी सक्षम प्राधिकारी या कोर्ट के आदेश के प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज किया गया है। अतः इसे वादीगण के खाते दर्ज किया जावे।**

7. अभिभाषक वादीगण द्वारा आगे तर्क किया गया कि वादीगण के पिता गोपाल व जीवन पुत्रान पांचूलाल मीणा के खाते सेटलमेंट से पूर्व कुल किता 4 कुल रकबा 32 बीघा 4 बिसवा दर्ज रिकार्ड थी। जिसे सेटलमेंट के बाद कुल किता 10 कुल रकबा 5.22 है0 बनाकर दर्ज किया गया। इस प्रकार वादीकण की सेटलमेंट से पूर्व और सेटलमेंट के बाद आराजी यथावत है और वादीगण वर्षों से उसी अनुसार कब्जे काश्त चले आ रहे है। प्रतिवादी क्रम 1 सेटलमेंट विभाग द्वारा रिकार्ड मात्र में बढाये गए रकबे का अनुचित फायदा उठाकर वादीगण को बेदखल करने पर आमदा हो रहा

है। अतः सेटलमेंट विभाग द्वारा सेटलमेंट के दौरान प्रतिवादी क्रम 1 के रकबे में की गई त्रुटि को दुरस्त कर वादीगण को पुराने रकबे के अनुसार खातेदार कृषक घोषित किया जावे और प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वे वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में दखल नहीं देवे। अभिभाषक वादीगण द्वारा यह भी तर्क किया गया कि हाल ख0नं0 353 जिस पर वादीगण ने अपना घर बना रखा है उसे वादीगण द्वारा 90000 रूपये में क्रय किया गया था और सेटलमेंट से पूर्व इसका रकबा 1.5 बीघा था लेकिन सेटलमेंट के दौरान इसका रकबा कम करके 0. 16 है0 दर्ज किया गया है जो कि मूल रकब से करीब आधा बीघा कम है। अतः इसे भी दुरूस्त किया जावे।

8. अभिभाषक वादीगण की बहस के परपेक्ष्य में पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा पेश भू प्रबंध विभाग की जमाबंदी संवत 2013–32 प्रदर्श पी 11 एवं खसरा नक्शा प्रदश्र पी 10 के अनुसार ग्राम रामनिवास की आराजी साबिक ख0नं0 66 रकबा 24 बीघा 1 बिस्वा किस्म बंजड बिलानाम काबिल काश्त राज0 सरकार के खाते दर्ज था जिसमें से विभिन्न भूखण्ड आवंटन होने के बाद प्रदर्श पी 12 के अनुसार 4 बीघा 4 बिस्वा शेष बची थी। इस शेष बची 4 बीघा 4 बिस्वा आराजी में से प्रदर्श पी–6, प्रदर्श पी–7, प्रदर्श पी–8, प्रदर्श पी–9 व प्रदर्श पी–15 के अनुसार प्रतिवादी क्रम 1 भैरूलाल बल्द पीरू जाति गुर्जर को सन 1975–76 में एक बीघा 4 बिसवा (खसरा न. 66/217) एवं 2 बीघा 2 बिसवा (खसरा न. 66 मि.) कुल 3 बीघा 6 बिसवा भूमि आवंटित हुई थी। इसी प्रकार ग्राम रामनिवास की जमाबंदी संवत 2027–30 प्रदर्श पी–6, 2031–34 प्रदर्श पी–7, संवत 2035–38 प्रदर्श पी–8 व संवत 2039–42 प्रदर्श पी–9 के अनुसार साबिक खसरा न. 185/211 रकबा 5 बिसवा व साबिक खसरा न. 100 मि. रकबा 1 बीघा 5 बिसवा 1975 में प्रतिवादी क्रम 1 को आवंटित होकर खाते दर्ज हुई थी। इस प्रकार उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार प्रतिवादी क्रम 1 को साबिक खसरा न. 66, 185 व 100 में से कुल 4 बीघा 16 बिसवा भूमि आवंटित हुई थी। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा पेश ग्राम रामनिवास की जमाबंदी संवत 2036–39 के अनुसार साबिक ख0नं0 66 मि0 रकबा 8 बीघा पिरिया गूजर के खाते दर्ज था जो प्रतिवादी क्रम 1 के पिता थे। सेटलमेंट विभाग के मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श पी 21 से स्पष्ट है कि साबिक ख0नं0 66 मि0 रकबा 8 बीघा के सेटलमेंट के बाद नये ख0नं0 355 रकबा 0.20 है0, ख0नं0 356 रकबा 0.71 है0, 359 रकबा 0.06 है0 एवं ख0नं0 364 रकबा 0.38 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.35 है0 बनाकर

प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज किया गया है अर्थात सेटलमेंट द्वारा 8 बीघा आराजी का रकबा 1.35 है0 सही दर्ज किया गया है। **यहां प्रश्न यह है कि क्या साबिक ख0नं0 66 मि0 रकबा 8 बीघा प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज था। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा पेश ग्राम रामनिवास की जमाबंदी संवत 2036–39 के अनुसार साबिक ख0नं0 66 मि0 रकबा 8 बीघा पिरया पुत्र नन्दा जाति गुजर के खाते दर्ज था। प्रतिवादी क्रम 1 भेरूलाल पुत्र पिरिया गुजर संभवतः पिरिया पुत्र नन्दा गुजर का ही पुत्र है।**

9. वादीगण द्वारा पेश ख0नं0 354 के फोटोग्राफ प्रदर्श पी 25, वादी क्रम 2 के घरेलू विद्युत कनेक्शन बिल की फोटोकोपी एवं गवाहों पी डब्ल्यू 1 से पी डब्ल्यू 5 के बयानो, प्रतिवादी क्रम 1 के जवाब दावा आदि के आधार पर यह प्रमाणित है कि विवादित आराजी ख0नं0 354 रकबा 0.15 है0 पर वर्षों से वादीगण ने कब्जा कर कोट कर रखा है और सफेदा के पोधे लगा रखे है। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा ख0नं0 354 पर कब्जे काश्त होने का न तो कोई साक्ष्य पेश किया हे और न ही वाद पत्र में स्पष्ट कथन किया है। **वाद पत्र के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वादीगण ने विवादित आराजी ख0नं0 354 पर प्रतिकूल कब्जे के सिद्धान्त के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष नहीं चाहा गया है।**

10. वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा पेश भू.प्रबंध विभाग के मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श पी–21 व प्रदर्श पी–30 के अनुसार प्रतिवादी क्रम 1 को आवंटित भूमि साबिक खसरा न. 66 मि. रकबा 2 बीघा 2 बिसवा का नया खसरा न. 358 रकबा 0.29 है0 तथा साबिक खसरा न. 100 मि. रकबा 1 बीघा 5 बिसवा का नया खसरा न. 236 रकबा 0.17 है0 बनाया गया है।

11. वादीगण द्वारा पेश जमाबंदी संवत 2068–71 के अनुसार हाल ख0नं0 353 रकबा 0.16 है0 बजरंगा, रामप्रसाद, पप्पू, नाथू, केसरया आत्मज माणकचन्द, अयोध्या पुत्र माणकचन्द व ग्यारसी बेवा माणकचन्द जाति नाथ के खाते दर्ज है अर्थात जिस आराजी को वादीगण क्रय किये जाने का कथन किया है वह राजस्व रिकार्ड में वादीगण के खाते दर्ज नहीं है और ना ही वादीगण द्वारा क्रय की गई उक्त आराजी का रजि0 विक्रय पत्र पेश किया गया है। अतः वादीगण दूसरे की खाते की आराजी यानी ख0नं0 353 पर वाद लाने के कानूनी हकदार नहीं है।

12. उक्त प्रकरण में विवाद का मूल बिन्दु यह है कि क्या हाल ख0नं0 354 रकबा 0.15 है0, जो प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज है और वादीगण के कब्जे काश्त में है –सेटलमेंट से पूर्व सिवायचक दर्ज था और सेटलमेंट के दौरान सेटलमेंट कार्मिकों द्वारा गलत तरीके से प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज कर दिया। इस संबंध में प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा पेश ग्राम रामनिवास की जमाबंदी संवत 2036–39 के अनुसार साबिक ख0नं0 185/237 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा पिरया पुत्र नन्दा जाति गूजर के खाते दर्ज था। यह आराजी जरिये नामान्तरण संख्या 170 दिनांक 22.05.1981 से खातेदार पिरया गूजर के दर्ज हुई थी और खातेदार पिरया गूजर की मृत्यु के बाद यह आराजी प्रतिवादी क्रम 1 भैरूलाल पुत्र पिरया गूजर के खाते दर्ज हुई । ग्राम रामनिवास के सेटलमेंट विभाग के मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श पी 21 के अनुसार साबिक ख0नं0 185/237 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा का नया ख0नं0 354 रकबा 0.15 है0 बनाया गया । **अतः यह साबित है कि हाल ख0नं0 354 विधिवत रूप से ही प्रतिवादी क्रम 1 भैरूलाल पुत्र पिरया गूजर के खाते दर्ज है।**

13. वाद पत्र के मद क्रम 2 के अवलोकन में वादीगण ने स्वयं शपथ पूर्वक स्वीकार किया है कि वादीगण के खाते की आराजी कुल किता 4 रकबा 32 बीघा 4 बिस्वा का सेटलमेंट के बाद कुल किता 10 रकबा 5.22 है0 बनाया गया जो लगभग सेटलमेंट से पूर्व व वर्तमान में बराबर है अर्थात वादीगण ने स्वयं स्वीकार किया है कि सेटलमेंट के दौरान कोई कमोबेशी या त्रुटि नहीं हुई है। वाद पत्र में चाहे गये अनुतोषों के अवलोकन से भी स्पष्ट नहीं है कि वादीगण अपनी कोनसी आराजी रकबे में सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त कराकर स्वयं को खातेदार कृषक घोषित कराना चाहते है। अतः वादीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष– (अ) भी अस्पष्ट है।

14. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर ग्राम रामनिवास की संभावित विवादित आराजी ख0नं0 354 रकबा 0.15 है0 एवं ख0नं0 353 रकबा 0.16 है0 के संबंध में वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0 एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट0 विरूद्ध प्रतिवादीगण खारिज किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण, उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य तथा चाहे गये अनुतोष की अस्पष्टता के आधार पर ग्राम रामनिवास की विवादित आराजी ख0नं0 354 रकबा 0.15 है0 एवं ख0नं0 353 रकबा 0.16 है0 के संबंध में पेश वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0 एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट0 खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.04.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 140/2017 **दायर दिनांकः 07/09/2017**

उनवान

1. जमनालाल आयु 42 वर्ष पुत्र रामनाथ
2. हेमराज आयु 55 वर्ष पुत्र प्रभुलाल
3. रामकिशन आयु 56 वर्ष पुत्र गोपाल जातियान मीणा निवासीगण रामनिवास तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादीगण

बनाम

1. भैरूलाल आयु 70 वर्ष पुत्र पीरिया जाति गुर्जर निवासी रामनिवास तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0 एवं
धारा 136 एल.आर.एक्ट. बाबत रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थितिः—

वादीगण :—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर

प्रतिवादी :—विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्र प्रकाश योगी प्रति. क्रम. 1

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम रामनिवास की विवादित आराजी ख0नं0 354 रकबा 0.15 है0 एवं ख0नं0 353 रकबा 0.16 है0 के संबंध में पेश वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0 एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट0 **खारिज** किया जाता है।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....
.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 20.04.2023 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)